



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर
(जिला न्यायालय, नरसिंहपुर)

फोन: 07792-292166 ईमेल: secdlsanrp@mp.gov.in

सूचना

पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति के संबंध में

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा निर्देशित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले सक्रिय एवं इच्छुक व्यक्तियों को पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में नियुक्त किया जाना है।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले सक्रिय एवं इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र District Court Narsinghpur की वेबसाइट अंतर्गत DLSA की साईड से अपलोड किया जाकर अथवा कार्यालय जिला प्राधिकरण नरसिंहपुर व तहसील समिति गाडरवारा / तेदूखेडा / गोटेगांव से प्राप्त कर एवं आवेदन पत्र भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर / तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा / तेदूखेडा / गोटेगांव में दिनांक 30.04.2026 से दिनांक 07.05.2026 तक कार्यालय समय में प्रस्तुत करें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
नरसिंहपुर

29/04/26

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर

(पुराना जिला न्यायालय परिसर, एडीआर सेंटर)

पैरालीगल वालेंटियर के चयन हेतु आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में).....
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी में).....
3. पिता/पति का नाम
4. जन्मतिथि
5. लिंग (पुरुष/महिला).....
6. जाति/वर्ग(एससी/एसटी/पिछड़ा वर्ग/सामान्य).....
7. शैक्षणिक योग्यता—.....
(प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)
8. सामाजिक कार्य/अनुभव.....
(यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. यदि कोई आपराधिक मामला हो तो.....
(निराकृत या लंबित प्रकरण का विवरण दर्शित करें)
10. वर्तमान पता.....
.....
11. स्थाई पता.....
.....मोबाइल नंबर.....ईमेलआईडी.....

फोटो
स्वहस्ताक्षरित

// घोषणा-पत्र //

मैं.....पिता.....

घोषणा करता हूं कि पैरालीगल वालेंटियर के रूप में जिला प्राधिकरण नरसिंहपुर/तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव अंतर्गत विधिक सहायता संबंधी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व अन्य विधिक सेवा संबंधी कार्यों को स्वेच्छा से करने के लिए सहमत हूं। मैं किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं हूं। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई सूचना/जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावे। चयन उपरांत यदि मैं नियम विरुद्ध कार्यों में संलग्न पाया जाता हूं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरा चयन निरस्त कर मेरे विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकता है। यदि मेरा चयन पीएलव्ही के रूप में किया जाता है तो मैं समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर